NOTE FOR PAD

The Agriculture and Farmers Welfare Department, Haryana is the regulatory authority for arrangements of all kind of fertilizers in the State and its proper distribution. The season-wise and month-wise requirement of fertilizers for a particular season is mutually assessed with Government of India at the time of Zonal review meetings and supply-plan is drawn accordingly. The Government has introduced Direct Benefit Transfer (DBT) system in Fertilizers w.e.f. October 2016. Under the fertilizer DBT system, 100% subsidy on various fertilizer grades is released to the fertilizer companies on the basis of actual sales made by the retailers to the beneficiaries.

For the purpose, the Government of India has distributed PoS (Point of Sale) devices through fertilizer companies to all the registered retailers (approx 7000 PoS in the State of Haryana). Training to the retailers for operating PoS device has been provided. Now, sale of all subsidized fertilizers to farmers/buyers is being made through Point of Sale (PoS) devices installed at each retailer shop and the beneficiaries are identified through Aadhaar Card, KCC, etc. All the States/U.T.s have been put on Go-Live mode w.e.f. 01.09.2017 by the Central Government.

A Project Monitoring Cell has also been set up at Department of Fertilizers, Government of India to oversee implementation of DBT exclusively. Department of Fertilizers, Government of India has developed an IT enabled system viz., Integrated Fertilizer Management System (iFMS), which captures end to end details of Fertilizer in terms of Production, Movement, availability, requirement, Sale, Subsidy Bill Generation to Subsidy payment to fertilizer companies.

To Implement DBT scheme across India, an iFMS (Integrated Fertilizer Monitoring System) has been developed by NIC.

A DBT Dashboards is developed for the entire stake holders with various MIS options based on rights based systems.

Dashboards/various reports for stakeholders are given below:-

1. Kisan Corner
2. DOF/Movement Division
3. States Agriculture Departments
4. District Collector/District Agriculture Officer.
5. Fertilizer companies.
6. Marketing Federation.

Dash-boards also provide various reports:-

i. Fertilizer Stock position (overall and production):
    - at Ports
    - at Plants
    - in States
    - at District levels
ii. Proportionate requirement for the season and availability of stocks at various levels 'Top 20 Buyers' List
iii. 'Most Frequent Buyers'
iv. Retailers not selling fertilizers

नोट फॅार पैड

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा राज्य में सभी प्रकार के उर्वरकों की व्यवस्था एवं उनके उचित वितरण के लिए नियामक प्राधिकरण है। किसी मौसम विशेष के लिए उर्वरकों की मौसम-वार तथा माह-वार आवश्यकता का आंकलन क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों के समय भारत सरकार के साथ पारस्परिक रूप से किया जाता है और उसी अनुसार आपूर्ति-योजना तैयार की जाती है। सरकार द्वारा अक्टूबर 2016 से उर्वरकों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली लागु की गई है। उर्वरक डीबीटी प्रणाली के तहत, खुदरा विक्रेताओं द्वारा लाभार्थियों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर उर्वरक कंपनियों को उर्वरको की विभिन्न श्रेणीयों पर 100% सब्सिडी जारी की जाती है।

इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने सभी पंजीकृत खुदरा विक्रेताओं (हरियाणा राज्य में लगभग 7000) को उर्वरक कंपनियों के माध्यम से पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन का वितरण किया है। पीओएस मशीन चलाने के लिए खुदरा विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वर्तमान में, सभी सब्सिडी वाले उर्वरकों की किसानों/खरीदारों को बिक्री प्रत्येक खुदरा दुकान पर स्थापित पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के माध्यम से की जा रही है और लाभार्थियों की पहचान आधार कार्ड, केसीसी आदि के माध्यम से की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा 01.09.2017 से सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गो-लाइव मोड पर रखा गया है।

भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा डीबीटी के क्रियान्वन की विशेष रूप से निगरानी के लिए एक परियोजना निगरानी कक्ष स्थापित किया गया है। भारत सरकार के उर्वरक विभाग द्वारा एक आईटी सक्षम प्रणाली जैसे एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आई एफ एम एस) विकसित की गई है जो की उत्पादन, संचलन, उपलब्धता, आवश्यकता, बिक्री, सब्सिडी बिल बनाने से लेकर उर्वरक कम्पनियो को सब्सिडी की अदायगी जैसी उर्वरको से सम्बन्धित प्रारम्भं से अन्त तक की जानकरियां उपलब्ध कराती है।

पूरे भारत में डीबीटी योजना को लागू करने के लिए एनआईसी द्वारा एक आईएफएमएस (एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली) विकसित किया गया है।

अधिकार आधारित प्रणालियों पर आधारित विभिन्न एमआईएस विकल्पों के साथ संपूर्ण हितधारकों के लिए एक डीबीटी डैशबोर्ड विकसित किया गया है।

हितधारकों के लिए डैशबोर्ड/विभिन्न रिपोर्ट नीचे दी गई हैं:-

1. किसान कॉर्नर
2. डीओएफ/_संचलन मंडल
3. राज्यों के कृषि विभाग
4. जिला कलक्टर/जिला कृषि अधिकारी।
5. उर्वरक कंपनियां।
6. मार्केटिंग फेडरेशन।

डैश-बोर्ड विभिन्न रिपोर्ट भी उपलब्ध कराते हैं:-

i. उर्वरक स्टॉक की स्थिति (समग्र और उत्पादन):
   - बंदरगाहों पर
   - संयंत्र पर
   - राज्यों में
   - जिला स्तर पर
ii. सीजन के लिए आनुपातिक आवश्यकता और विभिन्न स्तरों पर स्टॉक की उपलब्धता 'शीर्ष 20 खरीदारों की सूची'
iii. 'सबसे लगातार खरीदार'
iv. फुटकर विक्रेता जो खाद नहीं बेच रहे हैं